न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 53/2023

1. राजविन्द्रसिंह पुत्र दुलासिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड 19, खाजूवाला
2. हरजिन्द्रकौर पुत्र राजविन्द्रसिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड 19, खाजूवाला
3. रामलाल पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी 1 पीएचएम खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. दला पत्नी खानुखां जाति मुसलमान निवासी दन्तौर खाजूवाला
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :– 12.06.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी राजविन्द्रसिंह के नाम चक 4 पीआरएम मु0नं0 56/47 का किला नं0 1,2, 9 ता 12, 14 ता 25 में कुल 18 बीघा यानि 3.6163 है0 क0/अ0क0 कृषि भूमि है। इसीप्रकार प्रार्थी की पत्नी हरजिन्द्रकौर के नाम से इसी चक का मु0नं0 56/47 में किला नं0 3 ता 8, 13 में 7.00 बीघा यानि 1.7703 है0 क0/अ0क0 कृषि भूमि है। इसीप्रकार रामलाल के नाम से मु0नं0 56/38 का किला नं0 23 ता 25 में 0.4253 है0, मु0नं0 56/39 का किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18 कुल 12.00 बीघा यानि 2.5039 है0 क0/अ0क0 भूमि है तथा प्रार्थी रामलाल के पारिवारिक सदस्य सुनीता की खातेदारी कृषि भूमि इसी चक का मु0नं0 56/38 में किला नं0 21 ता 23 कुल 0.6323 है0 व मु0नं0 56/39 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 कुल 2.4406 है0 भूमि है। इसप्रकार प्रार्थीगण के उपरोक्त मुरब्बा नं0 56/47, 38, 39 इन तीनों मुरब्बों में प्रार्थीगण लगातार काबिज है। प्रार्थीगण के उपरोक्त तीनों मुरब्बों में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता मुरब्बा नं0 56/46 का किला नं0 1,10,11,20,21 से होकर गुजरता है उक्त मुरब्बा मनीराम पुत्र रामदेव मेघवाल का है। हम सभी काश्तकार मुरब्बा नं0 56/46 के स्वीकृत मार्ग से होकर गुजरते है व रास्ते का लगातार उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है हम सभी के पास आने–जाने के लिए यही एकमात्र सार्वजनिक मार्ग है। उक्त स्वीकृत मार्ग आगे उतर दिशा में चिपता मुरब्बा नं0 56/45 में आकर बन्द हो जाता है इससे आगे हमारे को आने–जाने का कोई मार्ग नहीं है। श्रीमान मु0नं0 56/45 जो कि अप्रार्थी दला की कृषि भूमि है जिसमें से होकर किला नं0 20, 21, 23, 24, 25 से पक्की सड़क गुजरती है जो सार्वजनिक सड़क है आम आदमी के काम आती है। प्रार्थीगण काश्तकारों का रास्ता जो कि मु0नं0 56/46 से होकर जागे पक्की रोड़ चढ़ने हेतु मु0नं0 56/45 का किला नं0 21 की 0.0252 है0, 20 का 0.0126 है0 सड़क तक श्रीमानजी इसप्रकार किला नं0 21 में पूरी 2 बिस्वा और किला नं0 21 में सड़क तक 1 बिस्वा भूमि ही रास्ते की बनती है। चक 4 पीआरएम मु0नं0 56/47, 38, 39 व मु0नं0 56/46 के काश्तकारों को आने–जाने के लिए इसी चक (अप्रार्थी का) का मु0नं0 56/45 के किला नं0 21 का 0.0252 है0 व किला नं0 20 का 0.0126 है0 (चूंकि उक्त किला में आधी दूरी पर ही रोड़ स्थित है) इसप्रकार कुल 0.0378 है0 भूमि किला नं0 20,21 में रास्ता कटान दर्ज करने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी सं0 बावजूद नोटिस गैरहाजिर रहने पर एकपक्षीय सुना गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 4 पीआरएम मु0नं0 56/45 के किला नं0 1 ता 17 सालम, 18 ता 25 की कुल 5.5512 है0 कमाण्ड रकबा दला पत्नी खानूखां जाति मुसलमान निवासी दन्तौर खाजूवाला के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता मु0नं0 56/45 के किला नं0 21 में 2 बिस्वा भिजवाया गया है। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में वांछित रास्ता कटान किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा चक 4 पीआरम मु0नं0 56/45 के किला नं0 21 में 2 बिस्वा व किला नं0 20 का 0.0126 है0 यानि 1 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त कुल 03 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)